

डा० अम्बेडकर की दृष्टि में भारतीय राष्ट्रवाद

डा० सुनील कुमार¹, अनिमेष जौन²

¹विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग पी०जी०, कालेज गाजीपुर

²शोधार्थी राजनीतिक विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर

सारांश :-

अधिकांशतः साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद द्वारा आरम्भ की गयी प्रक्रिया का अगला चरण है। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के सदस्यों को, राजनैतिक व प्रादेशिक रूप में, एक राज्य के संगठन में एकीकृत करने का प्रयास करता है। जब यह कार्य सम्पन्न हो जाता है, तब धरती पर कब्जा करने हेतु संघष शुरू हो जाता है।साम्राज्यवाद दलित जातियों या उनके वर्गों के राष्ट्रवाद को भड़का देता है। अतः साम्राज्यवाद व राष्ट्रवाद अन्तर्युक्त हो जाते हैं। राष्ट्रवाद' शब्द का प्रयोग तीन भिन्न अर्थों में किया जाता है। सर्वप्रथम, यह किसी राज्य विशेष की नागरिकता की वैधानिक स्थिति की ओर संकेत करता है। अर्थात् किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता उस देश के नागरिक के रूप में उसकी स्थिति की सूचक है। जहाँ का वह निवासी है। यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता ब्रिटिश अथवा कनाडियन आदि है। दूसरे, राष्ट्रीयता का अर्थ है, किसी राष्ट्र विशेष में अपनी भिन्न पहचान रखने वाले लोगों का समूह। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ में अनेक राष्ट्रीयता थीं जैसे—बाइलोरुस, यूक्रेनियन, उजबेक, ताजिक आदि। इसलिए सोवियत संघ को बहु—राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। तीसरे, राष्ट्रीयता विशेष प्रकार की भावनाओं तथा संवेगों का द्योतक है। जो कुछ लोगों को एकता के बन्धन में बॉटते हैं तथा उन्हें अन्य राष्ट्रीयताओं से भिन्न करते हैं। राष्ट्रीयता शब्द का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है, जिससे यहाँ हमारा सम्बन्ध है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीयता का भाव राष्ट्र का निर्माण करता है तथा किसी विशेष राष्ट्रीयता के लोगों द्वारा स्वशासन की स्थापना उनके राष्ट्र राज्य का निर्माण करती है।

मुख्य शब्दः— साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, बहु—राष्ट्रीय, स्वशासन, निहितार्थ, एकीकृत, अन्तर्युक्त।

परिचयः—

जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अपनी विविधताओं भरी संस्कृति के कारण भारत पाश्चात्य राष्ट्रवाद की अवधारणा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। वास्तव में राष्ट्र व राष्ट्रवाद की पाश्चात्य अवधारणा भौतिक तथा वाह्य सामान्यताओं पर आधारित है, जिसमें उन्होंने नश्ल, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक एकता के मानक को निर्धारित करते हुए इनके आधार पर राष्ट्र की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का आधार भौतिक समानताएं हो ही नहीं सकती, फिर भी भारत एक राष्ट्र है। डा० अम्बेडकर ने इस तथ्य को अपने विशिष्ट बौधिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि केवल भाषा, धर्म, जाति अथवा भौगोलिक एकता को ही केवल राष्ट्र का आधार नहीं माना जा सकता। अनेक देश एक ही भाषा—भाषी है परन्तु एक राष्ट्र नहीं है। एक ही धर्मावलम्बी होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में आवद्ध न हो सके। एक ही जाति धर्म व नश्ल के अरब राष्ट्रों में उस भावनात्मक एकता की अनुभूति कही परिलक्षित नहीं होती, जो राष्ट्रीय चेतना का आधार होती है। डा० अम्बेडकर के अनुसार इस राष्ट्रीय चेतना का आधार भावनात्मक एवं आध्यत्मिक एकता है। राष्ट्र एक जीवन्त आत्मा है, एक अमृत तत्व है। इसे वाह्य समानताओं का जामा नहीं पहनाया जा सकता।

डा० अम्बेडकर का नवबौद्ध आन्दोलन वास्तव में भारत की इसी आत्मा की खोज में उठाया गया, एक साथर्क कदम था। जिसका मूल उद्देश्य जाति एवं धर्म की कटुता तथा वैमनस्यता समाप्त करते हुए एक ऐसे समरूप समाज की स्थापना करना था जिसकी आत्मा एक हो, शरीर भी एक हो क्योंकि आध्यात्मिक और भावनात्मक एकता के आधार होते हुए भी जाति व धर्म भारत की राष्ट्रीय चेतना को चोटिल करने का प्रयास करते रहे हैं। इस आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्र व राष्ट्रवाद के इन कंटकों का समूल नाश किया जा सकता है। यह बात डा० अम्बेडकर के इस कथन से प्रतिध्वनित होती है, 'मुझे यह अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और फिर हिन्दू या मुस्लमान, मुझे यह भी स्वीकार नहीं है कि धर्म, संस्कृति, भाषा तथा राज्य के निष्ठा से ऊपर है—भारतीय होने की निष्ठा। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले भारतीय हो और अन्त तक भारतीय ही रहें, भारतीय के अलावा कुछ नहीं।'

डा० अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन एक आन्दोलन था। आन्दोलन संघष और डा० अम्बेडकर इन नामों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका यह सम्पूर्ण आन्दोलन मुख्य रूप से समाजवादी समाज के निर्माण के आदर्शों की प्रेरणा देने वाला एक सामाजिक आन्दोलन है। डा० अम्बेडकर का अन्दोलन, धर्म क्रांति, नव बौद्ध आन्दोलन निश्चित रूप से हिन्दू धर्म तथा हिन्दू समाज व्यवस्था के विरुद्ध में एक महाआन्दोलन था। उनके इस विद्रोह की प्रेरणा निश्चित रूप से सामाजिक समानता की है। यह प्रेरणा निश्चित रूप से इहवादी या भौतिकवादी है। इसमें कोई भी चैतन्यवादी, धर्मवादी या आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है। उनका यह आन्दोलन दलित समाज की मोक्ष प्राप्ति के लिए या ईश्वर का साक्षात्कार पाने के लिए नहीं था। यह आन्दोलन तो दलित समाज के मानवीय अधिकार जो हिन्दू धर्म तथा समाज की व्यवस्था ने सदियों से नकार दिये थे, इनके लिए था। इस आन्दोलन की प्रेरणा के मूल निश्चित रूप से भौतिकवाद में है, हिन्दू समाज के मूल स्वरूप बदलने में है। इसके लिए डा० अम्बेडकर ने लोकतंत्र और बौद्ध धर्म का सर्वथन किया है। बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार करने में और सम्पूर्ण दलित समाज को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देशवासियों को बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने के लिए आवाहन करने में यही उद्देश्य था कि लोकतंत्रात्मक मूल्यों, आदर्शों की स्थापना हो तथा देश की समाजवादी समाज रचना के निर्णय के लिए समाज में अनुकूल वातावरण तैयार हो क्योंकि सनतानी हिन्दू धर्म, आदर्श मूल किसी भी रूप में लोकतंत्र और समाजवादी समाज की रचना के लिए अनुकूल नहीं है।

लोकतंत्र और समाजवादी समाज की दृष्टि से डा० अम्बेडकर के धर्म क्रांति को तथा नव बौद्ध आन्दोलन को बहुत ही महत्व प्राप्त है। यह एक धर्म का त्याग करके या उसे अस्वीकार करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने की बात मात्र नहीं है। मगर यही होता तो एक समय में हिन्दू धर्म के कुछ तत्वों का समर्थन करने वाले डा० अम्बेडकर, हिन्दू धर्म में सुधार होने की सम्भावना रखने वाले डा० अम्बेकर, 1935 में धर्मान्तरण करने की घोषणा क्यों करते? धर्मान्तरण आन्दोलन क्यों चलाते? भारतीय संविधान निर्माण के साथ—साथ ही बुद्ध के दर्शन का, उनके सामाजिक क्रांति के सामाजिक चिंतन का बुद्ध के क्रांतिकारी कार्य का मूल्यांकन क्यों करते? वे भारतीय संविधान के निर्माण के साथ—साथ 'द बुद्धा इण्ड हिज धम्मा' जैसा ग्रन्थ का निर्माण का प्रकल्प क्यों हाथ में लेते? वे 'हिन्दू कोड बिल' को भारतीय संसद में पास कराने की बात क्यों करते? इन तमाम संदर्भों को निश्चित रूप से सामाजिक क्रांति का सन्दर्भ प्राप्त है। 14 अक्टूबर 1956 की धर्म क्रांति केवल हिन्दू धर्म की जगह दूसरा धर्म स्वीकार करने की बात नहीं है। डा० अम्बेडकर ने बुद्ध मत को स्वीकार किया उन्होंने इसके लिए दलित समाज में व्यापक जागृति पैदा की। उसी प्रकार उन्होंने अधिकृत एवं घोषित रूप से बुद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले ही बुद्ध के विचारों का सम्पूर्ण रूप से दिग्दर्शन करने वाले 'द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा' ग्रन्थ की रचना का कार्य पूरा कर लिया था। इस प्रकार व्यापक जन आधार तैयार होने बाद और धर्म क्रांति का वैचारिक तथा सैद्धांतिक हथियार "द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा" ग्रन्थ के निर्माण के बाद ही डा० अम्बेडकर ने बुद्ध मत को स्वीकार करने की घोषणा की।

डा० अम्बेडकर बौद्धमत की ओर मात्र इसके अहिंसावादी दर्शन के कारण आकर्षित नहीं हुई बल्कि इसलिए की बुद्ध ने सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया था। डा० अम्बेडकर बुद्ध बुद्धवाद की ओर इसलिए भी आकर्षित हुए कि मनुष्य—मनुष्य में किसी प्रकार का भेद—भाव नहीं था। इसमें

जन्म के आधार पर ऊँच-नीच का भेद न मानने की शिक्षा है जो स्त्री और पुरुषों में समानता एवं हीन समाज को समर्थन करते हैं। इस तरह डा० अम्बेडकर प्रत्येक रथान पर बुद्धवाद, समानता और स्वतंत्रता के सम्बन्धों का विश्लेषण करते हैं।

आधुनिक युग में किसी भी समाज की देश की समस्या का हल उसकी संगठन शक्ति और उस समाज की, उस देश की राजनीतिक चेतना में है। आधुनिक राजनीति में शक्ति, संगठन और सत्ता का बड़ा ही महत्व है। डा० अम्बेडकर इस बात को समझते थे। वह जानते थे कि दलित, अछूत, समस्या का हल उसकी संगठन शक्ति, राजनीतिक चेतना और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में ही है। इस कारण धर्मान्तरण की घोषणा के बाद बम्बई की महापरिषद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें शक्ति प्राप्त करनी है और इसके लिए दो महत्वपूर्ण बातें कही थीं, कि एक तो हमें धर्मान्तरण करके किसी भी अन्य समाज में मिल जाना चाहिए और उस समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसी परिषद में अपने भाषण के अन्त में कहा था। कि “यदि आप लोगों ने धर्मान्तरण के पक्ष में निर्णय किया तब तो आपको ये भी आश्वासन देना होगा कि सब लोग संगठित रूप में ही धर्मान्तरण करेंगे। धर्मान्तरण का निश्चय होने पर हर कोई मन चाहे उस धर्म में जाकर हर तरह से आपको एकता को भंग करना चाहेगा तो मैं आप लोगों के इस धर्मान्तर के कार्य में सम्मिलित नहीं होऊँगा।” इसका मतलब यह था कि दलितों का सामूहिक धर्मान्तर ही उनकी शक्ति का परिचायक बन सकता था। उनकी धर्मान्तर की घोषणा का आधार ही पूरी तरह ऐहिकतवावादी था। दलितों के मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए था, न किसी अध्यात्मिक या ईश्वर मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस देश की जात-पात और अछूतपन की समस्या के डा० अम्बेडकर एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या मानते थे और उनकी यह मान्यता थी कि जात-पात तथा अछूतपन की समस्या को एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या माने बिना उस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने जो-जो आन्दोलन किये उन्हीं के कारण बाद में सभी राजनीतिक दलों ने इस समस्या पर कुछ सोचना शुरू भी कर दिया था। इस समस्या पर गहन अध्ययन के पश्चात और व्यापक आन्दोलनों के अनुभव के पश्चात् उन्होंने यह कहा था कि जितनी स्वराज की आवश्यकता इस देश के लिए है। उतनी ही धर्मान्तरण की आवश्यकता अछूतों के लिए है। धर्मान्तरण और स्वराज इन दोनों का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति करना और दूसरों की गुलामी को नकार देना है और यदि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो जिस धर्मान्तरण से अछूतों को स्वतंत्र जीवन की प्राप्ति हो सकती है, उस धर्मान्तरण को निरर्थक कह देना दलितों का विरोध नहीं तो और क्या है? किसी भी समस्या का आधार उनके इतिहास में होता है और इसलिए उस समस्या का हल भी देश के इतिहास के अध्ययन से ही खोजा जाना चाहिए। भले ही ज्ञान की रोशनी कहीं से भी प्राप्त करो। इस बात का पूरा अनुभव उनके बौद्ध मत के स्वीकार करने में आता है। बौद्ध मत लोकतंत्र के अनुकूल और हिन्दू धर्म लोकतंत्र के प्रतिकूल हैं। बौद्धमत लोकतंत्र के लिए लोकतंत्रीय संस्कृति का निर्माण करता है और हिन्दू धर्म अलोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देता है।

डा० अम्बेडकर ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि दलित समाज को किस प्रकार उबारा जाय कि जिन समस्याओं का मैंने समाना किया है, आगे चलकर वह समस्या अन्य दलितों के सामने न आये, यही हर वक्त उनके मस्तिष्क में गूँजता रहता था। हर वक्त समाज व सामाजिक उत्थान के बारे में सोचते रहते थे। उसी का परिणाम था, नव बौद्ध आन्दोलन की शुरूआत।

डा० अम्बेडकर ने अपने अध्ययन को निरन्तर जारी रखा और अपने को प्रमुख साहित्यकर एवं लेखक के रूप में भी विश्वव्याप्ति प्राप्त की/ करायी। उनकी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अंतिम रचना भगवान बुद्ध और उनका धर्म जो बौद्ध साहित्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कृति मानी जाती है, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म एवं दर्शन को परम्पराओं तथा रुद्धियों से हटकर परखा गया है। आज यह ग्रन्थ विश्व की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। डा० अम्बेडकर एक सच्चे देशभक्त राष्ट्रवादी थे। उनके नये भारत की कल्पना में भूत एवं वर्तमान का एक सुन्दर समन्वय मिलता है। उन्होंने भारत की बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संभाला और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। डा० अम्बेडकर ने जातिवादी दृष्टिकोण को पसन्द नहीं किया अतीत में जो मूल्यहीन है, उसे त्याग दिया जाय जो आज प्रासंगिक है, उसे ग्रहण किया जाय। किसी के साथ छुआछुत तथा ऊँच-नीच का व्यवहार न हो और सभी नागरिक निर्भय होकर धांति सद्भावपूर्ण जीवन यापन करे। ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ के बौद्ध सिद्धांत को व्यवहारिक बनाना चाहते थे। डा० अम्बेडकर के प्रत्येक रचना तथा

भाषण में दीनहीन, दलित, पीडित लोगों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रभुत्व, दलित, शिक्षित वर्ग का चिन्तन हिन्दू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुआ।

राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार होता है, एकता की प्रबल भावना। सामाजिक समरूपता, सद्भाव को जन्म देती है और सद्भावपूर्ण वातावरण संगठित समाज को सम्भव बनाता है और संगठित समाज राष्ट्रीय शक्ति का आधार होता है। इस दृष्टि से जब हम भारत को देखते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। अनेकों धर्म, सम्प्रदायों, वर्ण और जातियों में बैटे समाज से संगठित राष्ट्र होने की अपेक्षा कम ही होती है, और जिस समाज में समाज के एक वर्ग विशेष को अतिनिम्न स्थिति में रखा जाय और तमाम सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा जाय ऐसे समाज से संगठित राष्ट्र होने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। डा० अम्बेडकर ने इस तथ्य को भली-भौति समझा था इसलिए उन्होंने भारत को विकासशील राष्ट्र कहा था, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसका अर्थ मात्र इतना है कि अपनी तमाम विद्वेश जनक विषमताओं को दूर किये बिना भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। डा० अम्बेडकर बौद्ध धर्म में भारतीय राष्ट्रवाद के तत्व तलाशते हैं उनका यह मानना था कि भारतीय राष्ट्र की विघटनकारी चुनौतिया न तो हिन्दू धर्म के अपनाने से दूर हो सकती है और न ही इस्लाम धर्म के अपनाने से, इनके मत में इसका एक मात्र मार्ग है बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, जो ईश्वरी सत्ता से अलग मानव की सत्ता का उपासक है, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता का पोषक है।

डा० अम्बेडकर बौद्ध धर्म के माध्यम से ही भारत की राष्ट्रीय चेतना को संगठित करना चाहते थे। बुद्ध शब्द ही बुद्धिवाद का प्रतीत है। विचारवान का प्रतीक है। विचारहिनता का प्रतीक है। बुद्ध ने मनुष्य की बुद्धि को प्रेरणा दी है। मनुष्य के मन को प्रेरित किया है। बुद्ध का सम्पूर्ण जीवन चिन्तन बुद्धिवाद पर आधारित है। बुद्ध के दर्षन में बुद्धि, तर्क और समानता को बढ़ा महत्व है। बुद्ध ने कहा है कि 'हर बात को बुद्धि और तर्क की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करना चाहिए।' इसलिए बुद्ध ने मनुष्य को विचारवान बनने की प्रेरणा दी है। विचारवान मनुष्य ही सही में अपने दुःखों को, अपने शोषण, उत्पीड़न से मुक्ति का रास्ता खोज सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। वह अपने को बुराई से दूर रख सकता है। इसलिए बुद्ध ने मनुष्य बुद्धि को ही आहवान किया था। जिस आदमी में सोचने की शक्ति नहीं, जिस व्यक्ति या समाज की चिन्तनशीलता मर गयी है, वह क्रांति कैसे ला सकता है? क्रांति पहले दिलों दिमाग में होती है बाद में समाज में पैदा होती है, जो सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना में जागृति लाती है।

राष्ट्रवाद का प्रमुख तत्व पवित्र मातृ भूमि के लिए प्रबल भक्ति भावना है। राष्ट्रवाद का अंतिम किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व समान संस्कृति, समान इतिहास और समान आदर्शों और आकांक्षाओं से उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के अन्य भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जैसे एक निश्चित भूभाग जिसके साथ लोगों का लगाव हो और जिसे लोग पिरू भूमि अथवा मातृ भूमि समझते हो, एक अपेक्षाकृत सजातीय मानव समूह, एक सामान्य संस्कृति, एक सामान्य भाषा एक सामान्य कानून और संगठन, एक राष्ट्रीय अर्थनीति और आत्म निर्णय का अधिकार तथा सम्प्रभुता। इस दृष्टि से यदि भारत के राष्ट्रवाद का विवेचन किया जाय तो भारत इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। डा० अम्बेडकर के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती जाति विवेद, स्तरीकरण, अस्पृष्टता की भावना हो और सम्प्रदायिकता की भावना हो। डा० अम्बेडकर ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा में जब भारत का संविधान पारित करने जा रहे थे तब स्पष्ट कहा था कि हम एक देश है यह सोचना एक बड़ा भुलावा है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? जातियाँ राष्ट्रीयता विरोधी होती हैं? एक तरफ वे सामाजिक जीवन में भेद-भाव को बढ़ावा देती हैं तो दूसरी तरफ वे विभिन्न समूहों में ईर्ष्या एवं टकराव की स्थिति पैदा करती हैं। यदि हमें राष्ट्र बनना है तो सबसे पहले इस कठनाई को दूर करना होगा।

डा० अम्बेडकर लोकतांत्रिक भारत के साथ-साथ लोकतांत्रित समाज भी चाहते थे। जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व जीवन के अभिन्न अंग हो। वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं चाहते थे जिसमें स्वतंत्रता तो हो किन्तु आपसी भाई चारा समानता एवं बन्धुत्व न हो। उनका विचार था कि लोकतांत्रिक सरकार के साथ-साथ

लोकतांत्रिक समाज और अर्थतंत्र भी होना चाहिए। डा० अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि “जब तक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विषमता का अंत नहीं कर लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि जातिविहिन व वर्गविहिन समाज की स्थापना की जाय।” डा० अम्बेडकर धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की संकल्पना को अस्वीकार करते हैं इसलिए 1937 के बाद द्विराष्ट्र की संकल्पना को अस्वीकार करते हैं। इसलिए 1937 के बाद जिस द्विराष्ट्रवाद की संकल्पना ने हिन्दू और मुस्लिमों को दो खेमों में बॉट दिया था। उन्होंने उससे एकदम अलग ही अपना आन्दोलन सोच रखा था। उनके द्वारा धर्मान्तरण की घोषणा का स्पष्ट मतलब ही यह था कि धर्म के आधार पर राष्ट्र की संकल्पना का विरोध करना। देश में 1937 के बाद जो राजनीतिक संघर्ष द्विराष्ट्रवाद खड़ा हुआ उस संदर्भ में डा० अम्बेडकर द्वारा धर्मान्तरण की घोषणा करना, हमकों बहुत ही व्यापक संदर्भ में इस धर्मान्तरण की घोषणा की ओर देखना चाहिए। यदि डा० अम्बेडकर भी इस द्विराष्ट्रवाद के राजनीतिक संघर्ष में हिन्दू सनातनी या मुस्लिम सनातनियों में किसी एक के पक्ष में खड़े हो जाते तो शायद देश में बाद में भारतीय संविधान का जो रूप बना और देश में धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का रूप बना यह न बन पाता और जात-पात और छुआ-छूत की समस्याएं ज्यों की त्यों रह जाती, यह कहना गलत न होगा।

निष्कर्षः—

यदि आज भी हम डा० अम्बेडकर के बौद्ध धर्म की परिकल्पना को स्वीकार करे तो सम्भवतः इस निराशाजनक स्थिति से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई दे सकता है। यद्यपि यह एक परिकल्पना मात्र है किन्तु प्लेटो और थामस मूर के विचारों की तरह काल्पनिक नहीं है। भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोग चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के अनुयायी हों ‘बुद्धम् शरणम् गच्छामि’ का जय घोष करे और भारत की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले तो राष्ट्र को अत्यधिक चोट पहुँचाने वाले सामाजिक और साम्प्रदायिक चुनौतियों को समाप्त किया जा सकता है और भारत एक निर्माणाधीन राष्ट्र से ऊपर उठकर एक वास्तविक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1 जे० सी० जौहरी
- 2 हंस कोहन नेषनल एण्ड इम्पायरलिजम इन द हाईथर ईस्ट पेज नं०-४९
- 3 भारत का संविधान
- 4 बुद्ध एण्ड हिज धम्मा
- 5 कास्ट इन इण्डिया (1923)
- 6 कम्यूनल डेडलाक एण्ड टू साल्व इट
- 7 डा० अम्बेडकर, सम्पूर्ण वांगमय (1 से 24 खण्ड) डा० अम्बेडकर प्रतिश्ठान, नई दिल्ली, 1998
- 8 झॉ उमारमण, भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता, षिवम् आर्ट्स, निषांतगंज, लखनऊ 2002
- 9 जाटव, डी०आर० डा० अम्बेडकर—एक प्रखर विद्रोही, ए०बी०डी० पब्लिसर्स, नटराजनगर, जयपुर 2004
कपाड़िया, के०एम०, मैरिज एण्ड फेमली इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बाम्बे, 1958
- 10 कीर धनन्जय, डा० अम्बेडकर लाइफ एण्ड मिषन—1962
- 11 रसिक, बिहारी, मंजुल, संघ सेन सिंह, अम्बेडकर : अग्निकरण, पारमिता प्रकाषन, दिल्ली विष्वविद्यालय, दिल्ली—1991
- 12 इण्डियन फोरनल आफ पोलिटिकल साइंस
- 13 फ्रांट लाइन, समाज कल्याण, अम्बेडकर टुडे, इण्डिया टुडे
- 14 आविद रजवी, सबाना करीम डा० जे०सी० भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर, रजत प्रकाषन मेरठ
- 15 आर्य, मोहन लाल, दलित चेतना का ऐतिहासक हस्योधाटन, ज्ञान प्रेस, काली वाडी, बरेली—1994